Shri D. C. Sharma: Sir, I introduce the Bill.

14·59 hrs.

MINIMUM WAGES (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(*Amendment of section* 14) *by Shri Balmiki*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion of the motion moved by Shri Balmiki on the 27th November, 1959 that the Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948 be taken into consideration.

Out of two hours allotted for the discussion of the Bill, 33 minutes have already been taken up on the 27th November, 1959 and 1 hour and 27 minutes are now available.

Shri S. M. Banerjee may now continue his speech. I find that Shri S. M. Banerjee is not present. That speech would be deemed to have been concluded.

15 hrs.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Bill moved by my hon. friend, Shri Balmiki. I congratulate him for bringing up this measure. Government themselves should have moved in this direction, but we know how the Ministry of Labour and Employment works in these matters. This measure simply provides for computing the overtime allowance at double the ordinary rate of wages where the State Governments have not framed any such rule. From the annual report on the working of the Minimum Wages Act I find that almost all the State Governments have framed rules as enjoined by section 30 of the Act. I am referring to the annual report for the year ending 1955. In that report it was stated that only certains State Governments like Himachal Pradesh, Bhopal and Kutch had not framed those rules. But now, Himachal Pradesh is a Union Territory. Therefore, the rules made by the Central Government apply to Himachal Pradesh. Also, Bhopal has been merged in Madhya Pradesh. Therefore, the Madhya Pradesh rules govern that State. Kutch has been merged with Bombay. So, there is no State Government which has not yet framed rules on this matter. Anyhow, this provision should be there so that there need not be any doubt.

For instance, in the schedule to the Minimum Wages Act, various employments are given as coming under this Act. All those employments are more or less covered either by the Plantation Labour Act, Mines Act or the Factories Act. But there is one important industry, the motor transport industry, wherein there is no legislation as yet. About that legislation, we were told that the Government was bringing a measure in this session. In the Parliamentary Bulletin we have been told that notice to introduce a Bill to that effect has been given. But I do not know when the Government will introduce that measure and when that will be passed. Till such time that it is brought in and passed, a measure amending the Minimum Wages Act providing for double the rate of normal wages for overtime work is very necessary. Otherwise, the two lakhs of workers who are employed in the road transport industry will be denied overtime wages.

What has been asked for by Shri Balmiki in this Bill is what is already obtaining under the Plantation Labour Act, the Mines Act and the Factories Act, and he wants that a similar benefit should be extended under the Minimum Wages Act. Therefore. Government should not have any difficulty in accepting this measure This is a very simple measure to see that the sweated labour, for whom the Minimum Wages Act applies, is benefited. Why we have passed the Minimum Wages Act is because we wanted to see that these workers should not be exploited. But today the position is this. There are certain

kinds of employment wherein, the workers could be denied overtime wages even if they are to work beyond the prescribed period of nine hours a day. Therefore, I strongly commend this Bill for the acceptance of this House.

श्री मोहन नायक (गंजाम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री बाल्मीकी ने जो सदन में मिनिमम वेजेज अमेंडमेंट बिल पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। म्युनिसपेल्टीज में, ग्राम पंचायतों और नोटिफाइड ऐरियाज आदि अनुष्ठानों में जो मेहतर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए मजूरी का कोई निर्धारण नहीं है। अब दिल्ली में श्री आइजनहोवर आये हुए हैं और दिल्ली में हमारे मेहतर लोग १२ से १४ घंटे तक काम करते हैं लेकिन उन्हें इस ओवरटाइम काम करने के लिए कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा।

इसके अतिरिक्त म्युनिसिपैल्टीज में काम करने वाले मजदूरों को इतवार की भी छुट्टी नहीं मिलती है और इतवार को उन को सवेरे काम करना होता है, कहीं कहीं शाम को ही छुट्टी दे दी जाती है। जिन मेहतरों ने सुबह काम किया है उनके लिए भी कोई ज्यादा मजूरी नहीं मिलती है।

इसी तरह हम देखते हैं कि जो कुली ठेकेदारों के पास काम करते हैं उनको भी गवर्नमेंट द्वारा मजदूरी की जो रेट फिक्स्ड है वह ठीक तरह से उन कुलियों को ठेकेदारों द्वारा नहीं दी जाती है।

मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाहों के बारे में तो ध्यान दिया जाता है और विभिन्न कम्पनियों में और सरकारी अनुष्ठानों में जो हमारे मेहतर भाई काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी के लिए कोई नियम नहीं है और कोई उचित व्यवस्था नहीं है और इसलिए यह जो बिल लाया गया है वह इस कमी की ओर इशारा करते हुए उसको पूरा करने का प्रयत्न करता है और इसलिए मैं इस बिल का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं।

Shri Sadhan Gupta (Calcutta—East): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I also rise to support this Bill. Shri Balmiki has done a very good service by drawing the attention of the Government to the fact that often employees and workers are made to do overtime work beyond the stipulated hours for which they are bound to serve under a contract. They are often compelled to do this kind of work without payment. That is a very notorious fact in our country and in fact in most countries of the world particularly where labour has not achieved that amount of progress and that degree of trade union organisation so as to enforce the recognition of its rights.

I am not quite sure what the position today is, regarding overtime rules. Shri Vittal Rao has pointed out that certain former Part C States had not framed any rules regarding this matter. I do not know whether, after merger of those Part C States with the adjoining States or after their constitution into Union Territories, the rules applicable to the present units would apply to those areas, because I have not consulted the States Reorganisation Act on this point. If those rules apply, then of course, in respect of those industries for which a minimum wage has been fixed in the different States of the country, in respect of those industries especially, this Bill will not be necessary or will not apply. If, under the States Reorganisation Act, those rules will not apply to the territories forming part of the former Part C States, then of course, the necessity of this Bill remains. That is a point on which I am not able to enlighten the House.

But the principles of the Bill are such that none should find any diffi-

[Shri Sadhan Gupta]

culty in accepting them. The practice of making workers work more than they should work under the contract or under the normal custom has been notorious throughout the world for ages. You know it was in 1886 that in Chicago a demonstration was brought out for a eight-hour day and that demonstration was fired upon on the 1st May. From that day, 1st May is regarded as a red-letter day in the history of the working class movement. From before that time the working class has been struggling to regulate the hours of work. As a result of the struggle, they have achieved on the whole this much of success that it is now recognised in every part of the civilised world that they should not be asked to work more than a specified number of hours a week.

There are differences between country and country. In our country it is 48 hours a week under the Factories Act. In some countries, they are striving for a forty-hour week or less. But then, it is recognised that there should be a certain number of hours per week and also a certain maximum number of hours per day and anything put in beyond those hours must be paid for. This thing seems not to have been recognised for a long time by the different State Governments. It is not surprising at all, because we had the spectacle that this Minimum Wages Act was so neglected that minimum wages had not been fixed for a long time and even after five years of its enactment, we had through this House to bring forward amending Bills to extend the time for fixing the minimum wages.

When this was the apathy of the various State Governments towards the need of the poor employees in our country, it is not surprising that they should have a similar apathy in framing the over-time rules. If over-time rules have not yet been framed in some cases, it is time that the Bill was amended to prescribe those rules and to set up a standard for over-time.

Shri Balmiki has made the point that making a worker work over-time amounts to forced labour which is prohibited by article 23 of the Constitution. The Statement of Objects and Reasons wrongly reads article 29. I feel there is a good deal of substance in this point, because after all, if you make a man work for more time than he is bound to work under the contract or under the custom of that employment or under any statute, you force him to do work without paying him for it. In that sense, that additional amount of work would be *begar*. Therefore, not to prescribe over-time rate and not provide for over-time payment in these circumstances would be naturally unconstitutional. In these circumstances, an over-time rate has to be prescribed.

The rate prescribed in the Bill is entirely unobjectionable, because it is very well recognised nowadays that over-time should be at double the ordinary rate of payment. That is what has been prescribed in the Bill. Of course, employers have tried to restrict the over-time rate. I do not say in every case the workers have achieved the double rate. But that is a fair rate; that is the tendency in quite a number of industries and I think Government should have no difficulty in recognising this rate as a valid and fair rate for the worker who is forced to do work beyond his working hours. Therefore, I think Government ought to have no difficulty in accepting the Bill. The case for payment of over-time is irresistible and the case for double the rate, I submit, is a very good case. It is a very fair rate and the Government should throw in its weight for this scale of over-time.

I do not think that any industry will suffer any hardship due to this scale of over-time. No industry has every been killed by reason of excessive over-time payments. That can always be regulated and it is certainly not very desirable that an in-

dustry should exploit workers at low rates of wages. It is also to be remembered that the over-time rate is to be calculated with reference to the rates of minimum wages fixed. The rates of minimum wages have never been too high; they have always been kept at the subsistence level or perhaps even below. So, twice the rate of minimum wages is something which all employers ought to be able to pay. If they are not able to pay it, they have no right to run their establishments.

With these words, I strongly support the Bill and commend it to the acceptance of the House.

15.18 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

Mr. Deputy-Speaker: I have to make an announcement. In response to the wishes of hon. Members of the House, the hon. Prime Minister had promised this morning that he would make a statement on Monday so far as the iniuries to Shri Karam Singh and the treatment of the Indian prisoners are concerned. But he has consulted his diary and he has found that he has got many engagements on that day. Therefore, the statement will be made on Tuesday instead of on Monday

Minimum Wages (Amendment) Bill—*contd.*

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बाल्मीकी ने जो मिनिमम वेजेज अमेंडमेंट बिल पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यों तो हमारे देश में हर क्षेत्र के अन्दर मजदूरों की जो दशा है वह बहुत शोचनीय है। जो उनको तनख्वाहें मिलती है और जो उनको काम करने के लिए मजदूरी दी जाती है वह सिर्फ़ इतनी ही होती है जिससे कि वे जीते रहें और मजदूर पैदा करते रहें। उनको इतना नहीं मिलता जिससे कि वे सही मायने में एक इंसान की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। आखिर हमारे मजदूरों को भी तो इसका हक होना चाहिए कि वे भी इंसान की तरह अपनी गुजर बसर कर सकें। इस वास्ते हमारे भाई ने जो बिल पेश किया है और जिसके कि मुताबिक वे मिनिमम वेजेज ऐक्ट को अमेंड करना चाहते हैं ताकि वे मजदूर लोग जो कि ओवरटाइम काम करते हैं उनको दूनी मजदूरी दी जाय, वह ठीक ही है और उसका सब के द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए और उसको हर एक का समर्थन मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे यहां म्युनिसपैल्टीज के अन्दर जो मेहतर काम करते हैं बहुत जगह उनको तनख्वाह बिल्कुल नहीं दी जाती है और कभी कभी ऐसा होता है मुझे तो एक म्युनिसपल बोर्ड का तजुर्बा है जहां कि उनको मजदूरी के एवज में पैसा ही नहीं दिया जाता बल्कि बनिये की दुकान से राशन दिया जाता है और यह कहा जाता है कि तुम लोग राशन लेकर खाते रहो और फिर म्युनिसपल बोर्ड उनको पे कर देगा और जिसका कि नतीजा यह होता है कि मंहगे भाव पर वे सामान वहां से पाते हैं। जो तनख्वाह मिलती है वह बहुत नगण्य है और उनसे जो ओवरटाइम लिया जाता है उसके लिए कुछ नही दिया जाता है।

खेतिहर मजदूरों की भी दशा बड़ी शोचनीय है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर कि दो पैसा रोजाना मजदूरी दी जाती है और उनसे मुफ्त में बेगार ली जाती है। देश के संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि किसी भी आदमी से बेगार नहीं ली जा सकती फिर भी इस कानून का फायदा उन गरीब मजदूरों को नहीं मिलता जिनको कि वाकई मिलना चाहिए। इसलिए मैं यह चाहूंगा यह हिन्दुस्तान के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बड़े कलंक की बात होगी अगर इस देश में इतने दिनों की स्वतंत्रता के बाद भी लोगों से काम लिया जाये और उसके एवज

[श्री सरजू पाण्डेय]

में उनको कुछ न किया जाय। इसलिए मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं। पहली बात यह कि इस कानून को तमाम क्षेत्रों में लागू किया जाय। माननीय मंत्री ने कहा भी था कि इसको तमाम क्षेत्रों में लागू किया जायगा और बहुत सारे मजदूर इस ऐक्ट से फायदा न उठा सकेंगे। इसलिए इस मिनिमम वेजेज ऐक्ट को इस तरह अमेंड किया जाय ताकि जो मजदूरों से ओवरटाइम काम लिया जाता है उसकी दूनी मजूरी उन्हें मिल सके और जो उनसे बेगार ली जा रही है उसका उन्हें पैसा मिले और दूना पैसा मिले।

Shri Jangde (Bilaspur): On a point of order. There is no quorum.

Mr. Deputy-Speaker: The bell is being rung.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा): बहुत से मेम्बर्स उधर जा रहे हैं इसलिए घंटी बजने पर भी काफी लोग अन्दर आते नहीं दिखाई देते। गेट पर बस खड़ी है।

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad): There is nothing more important than Parliament.

Mr. Deputy-Speaker: Now there is quorum. The hon. Member can continue.

श्री सरजू पाण्डेय: हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस ऐक्ट को अमेंड करना चाहिए। योरप के देशों में इस किस्म के कानून बने हुए हैं कि अगर कोई स्वीपर किसी के दरवाजे पर जाता है और यदि एक मिनट भी उसका दरवाजा नहीं खुलता है अगर एक मिनट की भी देर हो जाती है तो उसको इस बात का हक होता है कि वह एक मिनट का भी पैसा उससे ले सकें मगर हमारे यहां कोई ऐसा कानून नहीं है। इस लिए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस ऐक्ट को अमेंड करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसा कि इसमें सुझाया गया है कि अगर उनसे ओवरटाइम काम लिया जाता है तो उसकी उनको पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए और जो कि आम तौर पर वैस्टर्न कंट्रीज में मिलती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे और इस ऐक्ट को तमाम क्षेत्रों में लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्री बजराज सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वाल्मीकि जी के इस सत्प्रयत्न का स्वागत करता हूं। होना तो यह चाहिए था कि भारत सरकार का श्रम मंत्रालय ही स्वयं ही इस तरह का कोई कानून बनाने की पहल करता, लेकिन अब उनकी तरफ से पहल नहीं हुई है तो भले ही किसी प्राइवेट मेम्बर की तरफ से इस तरह का बिल आया हो, मैं आशा करूंगा कि सरकार उसका स्वागत करने का प्रयत्न करेगी।

असल में समस्या क्या है? जब हम ओवरटाइम की बात सोचते हैं तो देखते हैं कि उसके साथ दूसरी भी बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं और वह सवाल या समस्याएं यह हैं कि हम एक आदमी को कितनी मजदूरी दे सकते हैं या हमको कितनी मजदूरी एक खास काम के लिए देनी चाहिए। कितनी मजदूरी काफी होगी कि मजदूर उससे अपनी जिन्दगी बसर कर सके। और अगर हम उतनी मजदूरी नहीं दे सकते हैं तो फिर उसके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। तो यह तो एक बहुत विस्तृत सवाल है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर सोचेगी, और यह कोशिश करेगी कि जो देश में आमदनियों में बड़ा फर्क है उसको किसी तरह से कम किया जाए। देश में आमदनियों में एक और दस से अधिक का फर्क नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि किसी आदमी को सौ रुपए माहवार से कम न मिले और न किसी को एक हजार रुपए माहवार से अधिक

मिले । इस तरह से एक और दस का फर्क आमदनियों में रहे ।

लेकिन ओवर टाइम देने का सवाल हमारे सामने आता है । सिद्धान्त रूप से यह मान लिया गया है कि अगर कोई मजदूर निश्चित घंटों से अधिक काम करेगा तो उसको उस समय की दूनी मजदूरी मिलनी चाहिए । इस सिद्धान्त के होते हुए भी बहुत से राज्यों में इसके सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है कि अगर कोई मजदूर आठ घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसको उस काम का ज्यादा पैसा मिलेगा । लेकिन बहुत जगह यह हो रहा है कि अगर कोई मजदूर ८ घंटे के बजाय दस घंटे काम करता हैं तो उसको दो घंटे की दुनी मजदूरी तो कमा आठ घंटे के हिसाब से सवाई मजदूरी भी नहीं मिलती । उसको केवल ८ घंटे की ही मजदूरी मिलती है । यह इतना अन्यायपूर्ण कार्य है कि यह जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा । लेकिन अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा रहा है । मुझे मालूम है कि बहुत सी ऐसी नगरपालिकाएं हैं बहुत से ऐसे जिला बोर्ड और जिला परिषदे हैं कि जहां उनके कर्मचारी उनको कानून के अनुसार काम करना चाहिए उससे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको दूना वेतन देना तो दूर, उनको जितना एक दिन के लिए वेतन मिलना चाहिए उससे कुछ भी ज्यादा नहीं दिया जाता । मैं आशा करूंगा कि सरकार का ध्यान इधर जाएगा और सरकार कोशिश करेगी कि जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन श्री बाल्मीकी जी ने अपने बिल में किया है उस पर अविलम्ब अमल किया जाएगा ।

अगर हम अपने देश की श्रमिक जनता के मन में उत्साह पैदा करना चाहते हैं और उनसे उत्साहपूर्वक काम करने की आशा करते हैं तो हमें उनको प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करनी चाहिए । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह भी पूरे उत्साह से काम नहीं करेंगे । जब मजदूर परेशान रहते हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं दे पाते, उनको पढ़ा लिखा नहीं पाते, उनकी बीमारी में इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते तो वे उस शक्ति से काम नहीं कर सकते जिस शक्ति से कि उनको करना चाहिए । अगर हम मजदूरों को ओवर टाइम दें तो इससे न केवल मजदूरों को लाभ होगा बल्कि हमें भी लाभ होगा क्योंकि उस दशा में हम उनसे ज्यादा काम ले सकेंगे जिसकी कि आज बड़ी आवश्यकता है । आज देश में निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं । इसलिए आवश्यक हो गया है कि हमारे श्रमिक ८ घंटे की बजाए दस घंटे काम करें । इसके लिए उनको प्रोत्साहन देना होगा और उनको कुछ प्रलोभन देना होगा कि अगर वह ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं जिससे वे अपने कुटुम्ब के भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं । तो इस व्यवस्था से न केवल श्रमिकों को लाभ होगा बल्कि यह देश के हित में भी होगा ।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस बिल को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

Shri Tangamani (Madurai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, most of the previous speakers have dealt with the real point at issue. The purpose of this Bill is just to make specific what has been more or less left vague in the Minimum Wages Act.

As the House is aware the Minimum Wages Act of 1948 was passed and the Schedule was introduced for those industries which were considered as special labour and where the trade union organisations were not strong enough for collective bargaining. In the Act itself there is a provision as to when and how the minimum wages are to be fixed. These powers are left to the various State Governments and now I am sure that almost all the State Governments have got that machinery for fixing the minimum wages. Some State Governments were lagging behind on the question of fixing minimum wages for agricultural labour. For that also we have fixed

[Shri Tangamani]

a time limit and it is expected that by the end of this year most of these States would have fixed the minimum wages for agricultural labour also.

Section 14 of the Minimum Wages Act, 1948, provides that where the minimum wages are fixed mostly on the basis of time rate and if the worker is asked to do work in excess of the time that is fixed for the day, he is to be paid appropriate overtime wages. All that is stated is overtime rate which is fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher. Now what is sought to be done by this amendment is a clear definition as to how the overtime rate is to be fixed under this Act. By reading this amending clause we find that wherever the overtime rate has not been fixed the overtime rate for those workers will be double the ordinary rate of wages.

My hon. friend, Shri Vittal Rao, pointed out as to how plantation workers who are also covered by the Schedules to the Minimum Wages Act have got a separate legislation of their own, namely, the Plantation Labour Act. Plantation Labour Act provides for overtime wages. So in such a case it is very easy. But in the case of road transport workers who also come under the Minimum Wages Act but for whom there is no legislation fixing the overtime rate it becomes extremely difficult. There are certain industries which allow even a nine-hour day although eight-hour day has been accepted as the proper work day for any factory or outside the factory workers. There are also workers who will not come under the Factories Act. Section 59 of the Factories Act of course makes it clear that whenever the worker, who comes under the Factories Act, is asked to do overtime work he is to be paid overtime wages.

I will mention one section of the workers who come under this Minimum Wages Act but for whom there are no fixed hours of work. They are these municipal workers. For these municipal workers the various State Governments have also got their Minimum Wages Committees and the minimum wages have been fixed. They do not come under the Factories Act. There is no Act which fixes the hours of work as in the case of Plantation Labour Act. So, if they do overtime work, are they entitled to twice the minimum wages or 1½ time the minimum wages? Nothing is clear except that they have to be paid overtime wages. Nothing is clear from the original Act as to the quantum of wage that is to be paid to these municipal workers. If a particular worker is to do eight hours work and he has done, say, nine hours work, for that extra one hour of work if the authorities or the management pay 1½ wage they will be doing what is well within their rights provided under the Minimum Wages Act. It is only to avoid this and to give protection to the sweated labour, which is not governed by any of the legislations like the Plantation Labour Act or the Factories Act, that this amendment is sought to be made.

It is well known that although in the various Indian Labour Conferences, as in the 15th Indian Labour Conference, which met in Delhi, certain basis has been accepted for fixing the minimum wages, I do not think that there is a single Minimum Wages Committee in the country which has adopted the three consumption unit or many of the provisions which have been accepted in Delhi. So, the minimum wages that have been fixed for the sweated labour, like the municipal workers or the plantation labour, is far below the criteria accepted by all the parties in the 15th Indian Labour Conference. So it is not asking too much if a specific provision is made in the Minimum Wages Act itself to the effect that overtime wages should be paid at a particular rate.

It has been accepted on all fours that the overtime wages should be twice the ordinary rates. What is the reason for this? Why should a worker demand more for the overtime work? In a country like India where

there is no dearth of labour and where we have to provide for more and more labour, as far as possible overtime will have to be discouraged. This is another way of discouraging overtime. But a situation may arise where overtime is necessary. When overtime becomes absolutely necessary the worker has got to be paid extra. Where overtime is not necessary the incentive must be there for the employer to employ more men instead of compelling the existing labour to do extra work. It is easy to extract overtime work from the sweated labour which is sought to be protected under the Minimum Wages Act. The Minimum Wages Act fixes the minimum wages. It has also indicated that overtime wages should be paid. Overtime wages, if paid, will have to be specifically mentioned. That is why I say that this clause 2, which says,—

> "In sub-section (1) of section 14 of the Minimum Wages Act, the following proviso should be added, namely,—
>
> Provided that where no provision exists for determination of overtime rate, it shall be double the ordinary rate of wages.

is a very salutary provision.

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाल्मीकी जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और जब तक कि श्रम के हिसाब से कम से कम मजदूरी मुकर्रर नहीं होती है उस वक्त तक तो हमें यह मानना ही होगा कि जो समय से फालतू काम करता है उसे फालतू मजदूरी भी मिलनी चाहिए। और जहां उसका हिसाब नहीं है वहां उसी हिसाब से जो बाल्मीकी जी ने बताया है वह मजदूरी दी जानी चाहिए। और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज का जो वर्ग सफाई का काम करता है, मुझे यह देखकर दुःख होता है कि वह वर्ग ही सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। यह वर्ग अधिकतर नगरपालिकाओं में और जिला बोर्डों में काम करता है। ये संस्थाएं भी सरकार का ही एक अंग हैं। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जगह पर है, राज्य सरकारें अपनी जगह पर हैं उसी प्रकार ये नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड भी अपनी जगह पर वही काम कर रहे हैं। अगर सरकार का कोई हिस्सा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता तो यह अच्छी बात नहीं है। जब कि हम दूसरे काम लेने वालों से, जैसे खेती का काम लेने वालों से, यह तवक्को करते हैं कि वे उचित मजदूरी दें तो सरकार को तो अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी देनी चाहिए। खेती में जो आदमी मजदूरी करते हैं उनकी कोई मजदूरी निश्चित नहीं की गयी है, फिर भी इस बात का ख्याल किए बिना कि किसान को खेती से लाभ होता है या नहीं यह तवक्को की जाती है कि उन मजदूरों को एक निश्चित मजदूरी मिलनी चाहिए और जहां यह मुकर्रर नहीं है वहां मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसी हालत में जो संस्थाएं सरकार का ही अंग है अगर अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देतीं तो यह हमारे लिए कोई इज्जत की बात नहीं है। श्री बाल्मीकी जी ने कहा कि इन मजदूरों का लाखों रुपया बकाया है जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। वह उनको मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश की तरक्की के लिए ऐसा होना आवश्यक है। आज दुनिया में समाजवादी देश भी इस बात को मानते हैं कि एक मजदूर को एक निश्चित मजदूरी तो अवश्य मिलनी ही चाहिए और जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ऐसा न होने से आदमी आलसी बन जाता है और उसका ध्यान काम न करने की तरफ जाता है, उसका ध्यान केवल समय पूरा करने की तरफ जाता है। मैं समझता हूं कि हम को मिनिमम वेजेज के उसूल को जल्दी काम के हिसाब से जल्दी लागू करना चाहिए और उसी हिसाब से मजदूरी देनी चाहिए। एक आदमी को कम से कम कितना काम करना चाहिए उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मजदूरी मुकर्रर की जानी चाहिए और जो आदमी उससे ज्यादा काम करता है उसको उसी हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए। इसी में देश का

[चौ० रणबीर सिंह]

भला है, और समाजवादी देश को तो यह जरूर ही करना चाहिए। पूंजीवाद में भी यह चीज जरूरी होती है। लेकिन आज जब कि देश बन रहा है, उस वक्त तो देश को और भी ज्यादा जरूरत है कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा काम करे। इसके लिए उसको प्रलोभन देने की जरूरत है। जब तक स्टेंडर्ड काम के लिए स्टेंडर्ड `ेज निश्चित नहीं होगी और जब तक यह सिद्धान्त नहीं तै होगा कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी उस वक्त तक मजदूरों में उत्साह पैदा नहीं होगा और वह ज्यादा काम नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम दुनिया के दूसरे देशों के साथ चलना चाहते हैं या उनको पकड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम अपने मजदूरों के दिल में जोश पैदा करें। चाहे कोई खेती का काम करता हो, या किसी छोटे मोटे कारखाने में काम करता हो या जिला बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड में काम करता हो हमें सब के लिए यह नियम बनाना चाहिए कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी दी जाएगी।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): उपाध्यक्ष जी, इस अमेंडिंग बिल पर चर्चा के सम्बन्ध में ज्यादा बातें तो जो कहीं गई हैं उन का सम्बन्ध है इस कानून पर बराबर अमल न होने से और जो बातें इस वक्त इस अमेंडिंग बिल की मारफत पेश की गई हैं, उन के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है। एक माननीय सदस्य ने तो इतना भी कह दिया कि ये कानून सब कागजी हैं। अगर वह मानते हैं कि ये सब कानून काग़जी हैं, तो फिर काग़ज़ क्यों बढ़ाया जाता है? छोड़ दीजिए उन को। एक साहब ने शिकायत की कि वेतन नहीं मिलता है। अगर वेतन नहीं मिलता है, तो पेमेंट आफ वेजिज एक्ट तो है। उस पर अमल होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि वेतन बहुत कम

15.45 hrs.

[SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY in the Chair]

मिलता है। अगर कम मिलता है, तो वह बेकानूनी बात है। जो मिनिमम वेज निश्चित हो चुका है, उस के अनुसार मिलना चाहिए। यह बात तो हम हमेशा कहा करते हैं कि सिर्फ कानून बना देने से काम करने वाले भाइयों को संतोष नहीं हो सकता। कानून पर बराबर अमल होना चाहिए। यह तो हमारी कोशिश रही है और होनी चाहिए। इस के लिए हम ने दफ्तर खोल रखे हैं, इंस्पेक्टर्ज नियुक्त किए हैं और उन्हें अपना काम करना चाहिए। कहीं उन के काम में कमजोरी आती हो, तो मेम्बर साहबान का जरूर यह हक है कि वे हम से कहें और हम हमेशा इस बात के लिए तैयार हैं कि जो कुछ इस सम्बन्ध में किया जा सके, वह करना चाहिए। मगर उतना ही काफी नहीं होता है। जरूरी यह भी है कि ट्रेड यूनियन संगठन भी मजबूत होना चाहिए, ताकि कानून पर बराबर अमल हो और वर्कर्ज को वह सब कुछ तरीके से मिलना चाहिए, जो कि कानून ने उन को दे रखा है।

यह भी कहा गया है कि बेगार ली जाती है। बेगार तो अपने संविधान ने बन्द कर रखी है और बेगार किसी से लेना नहीं चाहिए। वह ली नहीं जा सकती है। अगर कोई ले, तो यह कानून के विरुद्ध—विधान के विरुद्ध—अमल होगा और उस का बराबर मुकाबला करना चाहिए, कायदे ने यह हक दे रखा है। यहां खाली कह देने से कि बेगार नहीं लेनी चाहिए काम नहीं चलता है। जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूं—और सब मेम्बर साहब मानते हैं—कि विधान में उस की मनाही की गई है, तो फिर उन का मुकाबला करना चाहिए—कानूनी तौर से, जिस्मानी तौर से, हर तरह से उस का मुकाबला करना चाहिए।

जहां तक हमारे हरिजन भाइयों का ताल्लुक है, जिन के सम्बन्ध में काफी जिक्र

हुआ है, हमारी पूरी सहानुभूति उन के साथ है और हम यह चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके हक उन को मिलें।

जहां तक डबल रेट—दुगने रेट—का सवाल है, जो घंटे निश्चित किए गए हैं, अगर उन घंटों के अलावा काम लिया जाये, तो डबल रेट दिया जाना चाहिए। इस में कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। उन्हें मिलना चाहिए। हमारे सेंट्रल रूल्ज में भी यही है, सिवायें एग्रीकल्चर के बाकी के बारे में पेज ८ पर रूल २५वें में कहा गया है—

"in the case of any other scheduled employment at double the ordinary rate of wages".

सैंटर ने इस बात को मन्जूर किया है और अभी नहीं, १९५० मे हमारा यह कायदा बना है। जहां तक स्टेट्स का सम्बन्ध है, इस पेमेंट आफ़ वेजिज स्कीम के तरीके ने यह मामला स्टेट्स के सुपुर्द कर दिया है। ज्यादातर स्टेट्स ने मिनिमम वेजिज निश्चित किए हैं—कही कहीं सवा और कहीं डेढ़। वहां कोशिश करनी चाहिए कि वे उस को बढ़ायें और वे बढ़ा सकते हैं—उन के पास बढ़ाने की सत्ता है। वे कमेटी कर के बढ़ा सकते हैं।

जहा तक कि इस के अमल का ताल्लुक है, एक कमेटी भी है, जिस से मदद ली जाती है और देखा जाता है कि इन पर बराबर अमल होता है या नहीं।

यह भी जिक्र किया गया है कि औरत और मर्द के वेतन में फ़र्क है। उस का यह फ़ैसला है—और हम भी यही चाहते हैं—कि जहां काम एक किस्म का हो, वहा औरतों और मर्दों के वेतन में किसी किस्म का फ़र्क न हो। यह बात कई दफ़ा यहां कही जा चुकी है। मगर कहीं कहीं पर मिनिमम वेजिज कमेटीज जो हैं, वे इस बात का ख्याल रखती हैं कि अगर यह चीज़ कर दी गई, तो औरतों का काम कम हो जायगा, औरतें चली जायेंगी यानी जहां जहां वे काम करती हैं, वहां से वे हटा दी जायेंगी। वह चीज ख्याल में रख कर कभी फ़र्क कर देते हैं, लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार की पालिसी का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है और कई दफ़ा स्पष्ट की जा चुकी है। इसमें किसी भी माननीय सदस्य को जरा भी शक नहीं करना चाहिए।

म्यूनिसिपैलिटी में जो काम करते हैं, उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में वहां के कानून हैं।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) लेकिन वहा के कानून बेकार है।

श्री आबिद अली : मैं यह नहीं मानता कि वहां के कानून बेकार हैं, लेकिन अगर बेकार हैं, तो हम उन को कारामद नहीं कर सकते। यह हमारी शक्ति के बाहर है। उस के लिए प्रजामत होना चाहिए, मजदूरों का संगठन होना चाहिए। अगर वहां के कानून बेकार है तो उन का मुकाबला करना चाहिए और उन को बाकार बनाना चाहिए। यहां इस किस्म की बातें कर देने से वे योगीउप नहीं हो सकते।

मेरी अर्ज यह थी कि किसी एक खास काम करने वालों को अलग लेकर उन के लिए खास कायदे बनाये जायें म्यूनिसिपैलिटी में, यह सम्भव नहीं है। जो सब काम करते हैं, उन को ख्याल में रख कर कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों पर अमल भी होना चाहिए।

कानपुर के माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया था कि नैनी में कुछ लोगों पर लाठी-चार्ज किया गया, क्योंकि वे स्ट्राइकर्ज थे। मालूम नहीं कब इन मित्रों को इस बात का यकीन आयगा कि स्ट्राइकर्ज पर कोई लाठी-चार्ज नहीं कर सकता—करना नहीं चाहता।

श्री सरजू पांडे : मगर होता है।

श्री आबिद अली : गलत है। मैं नहीं मानता हूं। लाठी चार्ज दिल्ली में हुआ था जब देश-प्रेमियों ने कम्यूनिस्टों की मीटिंग रोकने के लिए एक प्रोसेशन निकाला था और कम्यूनिस्टों की मीटिंग में थोड़े से आदमी थे, जब कि हजारों उस को रोकना चाहते थे और पुलिस ने उन पर लाठी-चार्ज किया था। लाठी-चार्ज तो उन पर होता है, जो कि कानून के खिलाफ़ काम करते हैं, फिर चाहे वे कांग्रेस वाले हों, या ग़ैर-कांग्रेस वाले हों, कम्यूनिस्ट हों, या कोई हों। पुलिस का काम है कि कानून का अमल कराए और जो कानून तोड़ता है, उसके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जाती है। नैनी में स्ट्राइकर्ज पर लाठी-चार्ज स्ट्राइक करने की वजह से नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने और चीजें की थीं, जो कि नहीं करनी चाहिएं, किसी भी सभ्य आदमी को और खासकर हिन्दुस्तानियों को। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे, इस लिए कुछ जरूरी कार्यवाही करनी पड़ी।

जहां तक घरेलू कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि यह मामला पार्लियामेंट की इनफार्मल कन-सल्टेटिव कमेटी के सामने पेश किया गया था। उस में सब तरफ के मेम्बर साहबान हाजिर थे और वहां पर सर्व सम्मति से जो फैसला हुआ था, उस के अनुसार, मद्रास में जो इंडियन लेबर कांफ्रेन्स हुई, उस में इस विषय को पेश किया गया। जो यहां फैसला हुआ था वह वहां भी हुआ और उस फैसले के अनुसार हम ने दिल्ली में एक दफ्तर खोला है, जहां पर, उन को जो सहायता देने का निश्चय किया गया था, उस को देने का काम शुरू कर दिया गया है। यह शुरू शुरू है। शुरू में जरा आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ता है, लेकिन जैसा निश्चय किया गया, वैसा अमल कर दिया गया है। जो फैसला हुआ है, उस में सब पार्टियों के लोग, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के सब लोग सहमत थे। सर्व-सम्मति से वह फैसला हुआ है। जुलाई में वह फैसला हुआ था और अब हम दिसम्बर में हैं और उस पर अमल कर दिया गया है। इस अरसे में ऐसी कोई चीज नहीं हो गई है कि उस फैसले को बदलने की जरूरत पैदा हो गई हो।

भोपाल वगैरह के बारे में एक बात यहां पूछी गई थी। जो जो पुरानी स्टेट्स के हिस्से बड़े हिस्सों में मिल गए हैं, कानून के लिहाज से जो कायदे वहां एक हिस्से में लागू थे, वे सब में लागू हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया गया है। मैंने अभी इस रूल की पच्चीसवीं धारा का जिक्र किया। वह वहां अमल में आ गया है।

यह जो चीज आपके सामने पेश है इसके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं कि दो एतराजात हैं। पहला तो यह है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम समझते हैं कि दुगना उनके ज्यादा काम के घंटों का वेतन मिलना चाहिए। इससे हम सहमत हैं। हम नहीं चाहते कि जो भी घंटे काम के निश्चित किए गए हैं उनसे ज्यादा काम लिया जाए। हम चाहते हैं कि काम के जितने घंटे निश्चित हो गए हैं, उपने समय में ही काम खत्म कर दिया जाया करे। लेकिन अगर कभी मजबूरी हो, ज्यादा काम लेने की जरूरत हो तो उनको दुगना वेतन मिलना चाहिए। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सम्बन्ध है हम यह कायदा पास कर चुके हैं और यह अमल में आ रहा है। जहां पर यह अमल में नहीं आ रहा है और जिन स्थानों का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, उनके बारे में अगर हम सहायता देने की स्थिति में होंगे तो अवश्य सहायता देंगे। हम हर प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इस सब चीज पर अमल हो। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है और जिन की चर्चा यहां की गई है, उनके यहां होने वाली बेकायदगियों की तरफ ध्यान दिलाया गया

है, उन तक हम आपके विचार पहुंचा देंगे और अपनी राय भी उनको हम दे देंगे।

एक और बात कही गई है जोकि मुश्किल है। इस अमेंडमेंट में यह रखा गया है कि पिछले दस साल से जो वेतन दिया जाता था उसका फिर से ख्याल किया जाए और उसमें कमोबेशी अगर कहीं मालूम हो तो उसको पूरा किया जाए। यह असम्भव चीज है। इसका हमें दुःख के साथ विरोध करना पड़ता है।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस आश्वासन पर जोकि मैं दे चुका हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस पर अमल करायेंगे, कहीं कमजोरी हो रही हो, तो उसको पूरी करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में कहीं कहीं जो कहा गया है, उन तक आपके ख्यालात पहुंचा देंगे और उनके बारे में अपने विचार भी पहुंचा देंगे, जहां तक रिट्रास्पेक्टिव ईफैक्ट का ताल्लुक है, वह असम्भव चीज है यह आप भी मानेंगे, इस बिल को प्रेस नहीं करेंगे और मैं समझता हूं कि उनका जो हेतु इस बिल को रख कर चर्चा करने का था वह पूरा हो गया है और अब वह इसे वापिस ले लेंगे। जहां तक सर्क्युलेशन का सवाल है, वह तो पैदा ही नहीं होता और उसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं।

श्री बाल्मीकी : सभानेत्री जी, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने कि इस वाद-विवाद में भाग लिया है और हृदय से उस मन्तव्य का समर्थन किया है जो मैंने इस मिनिमम वेजिज एमेंडमेंट बिल के अन्दर दिया है।

Shri T. B. Vittal Rao: Please do not withdraw it.

श्री बाल्मीकी : न्यूनतम मजूरी विधेयक जो सन् १९४८ का है उसकी धारा १४ में यह एक साधारण सा एमेंडमेंट लाने का मेरा विचार सारे देश में घूमने के बाद हुआ। भंगी जांच समिति के सहारे सारे देश में जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है कि अभी भी ओवर-टाइम होता है, फक्ट्रीज के अन्दर भी, म्यूनिस्पैलिटीज के अन्दर भी, खेतों पर भी और कानून में व्यवस्था होते हुए भी उस बात को टाला जाता है और इस बात की ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहा था।

यह ठीक है कि प्लांटेशन एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंज एक्ट है और शाप्स एंड कामर्शियल एस्टेबलिशमेंट्स एक्ट है और उनके अन्दर कुछ प्राविजंज हैं। यही नहीं बल्कि कहीं कहीं जैसा मैंने इस बिल पर बोलते हुए कहा था कि अब भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अन्दर, यूनियन टैरिटरीज के अन्दर और दूसरी बहुत सी जगहों पर भी उन बातों पर अमल नहीं हो पा रहा है जिन का फक्ट्रीज और कारखानों से ताल्लुक है। मैं यह जानता हूं कि अगर इस दुगनी मजदूरी की मांग को ओवर-टाइम के लिए मान भी लिया जाए तो कोई ऐसा उद्योग आप नहीं देख सकते कि जिस के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं यह जानता हूं कि अब भी अगर हम यह देखें तो हमें पता चलेगा कि मोटर एंड ट्रांसपोर्ट के अन्दर लगे हुए दो लाख से ज्यादा कर्मी जो हैं, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और कानून के अन्दर कोई इस तरह का मैंशन नहीं है। यही नहीं बल्कि इस तरह के कारखानों में जो लोग काम करते हैं और कारखानों में ही नहीं बल्कि दफ्तरों के अन्दर भी कहीं कहीं इस तरह की केटगरीज हैं जिन को इतना काम करना पड़ता है कि कुछ ठिकाना ही नहीं। मैं उन में से कुछ के नाम आपको बतलाना चाहता हूं। पियन-कम-चौकीदार, स्वीपर-कम-चौकीदार और जो मजदूरों का कल्याण विभाग है, उसके अन्दर जो सुपरवाइजर्ज और वर्कर्ज

[श्री बाल्मीकी]

हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है। यही नहीं म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर, कारपोरेशंस के अन्दर, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया कमेटीज के अन्दर और पंचायतों के अन्दर जो स्वीपर एंड स्कैवेंजर्ज, भंगी और सफाई मजदूर हैं, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। स्वीपर-कम-चौकीदार या पीयन-कम-चौकीदार को आठ घंटे की ड्यूटी देनी होती है, लेकिन उनसे इससे कहीं अधिक काम लिया जाता है, रात को भी उनको अधिकतर काम करना पड़ता है और मैं कह सकता हूं कि बीस घंटे से भी अधिक उनसे काम लिया जाता है। इस तरह से हजारों आदमी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर तथा दूसरी जगहों पर मौजूद हैं, जिनको इतने घंटे ड्यूटी देने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें ओवर-टाइम नहीं दिया जाता, यह ही नहीं, बल्कि काम का क्षेत्र भी बड़ा होता है।

जो कल्याण विभाग में सुपरवाइजर होता है, उसके वेतन को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वह ८०) से स्टार्ट करता है लेकिन जो अधिकारी होता है या दूसरे वर्ग के सोशल-वर्कर होते हैं, उनको २०० से अधिक वेतन दिया जाता है। इन सुपरवाइजर्स को आठ घण्टे से ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो मजदूरों की कालोनीज में जाकर, अलग अलग बस्तियों में जाकर उन्हें लोगों से कांटैक्ट (सम्पर्क) स्थापित करना पड़ता है, लोगों से एक तरह से मिलना होता है, उसमें कितना ही वक्त उनका लग जाता है। इस तरह से कितनी ही कैटेगरीज हैं, जिन पर इस ओवर-टाइम का प्रभाव पड़ता है। यह ठीक है कि ओवर टाइम के लिये डबल वेजिज की बात को आपने शैड्यूल्ड एम्पलायमेंटेस के अदर माना है। लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर आप अमल के रूप में देखें, इम्प्लेमेंटेशन के रूप में देखें तो आपको पता चलेगा कि उस पर उतना इम्प्लेमेंटेशन नहीं हो पाता है जितना होना चाहिये और न हो रहा है। साथ ही साथ इस तरह से एरियर्ज भी मौजूद हैं और वे बढ़ते ही जाते हैं।

मैं मानता हूं कि आपका ध्यान उधर जाता है। लेकिन इस बिल में मैंने कहा था और अब भी कहता हूं कि मिनिमम वेजिज आप चाहते हैं और उसके लिये आपने कदम भी उठाए हैं और इस के लिये मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं। लेकिन जब तक आप स्वयं मिनिमम वेजिज के रेट मुकर्रर नहीं करते हैं, ठीक तरह से वेज पालिसी निर्धारित नहीं करते हैं, पालिसी को अमली रूप नहीं दे पाते हैं तब तक कोई लाभ नहीं है। इसका प्रभाव ओवर टाइम पर भी पड़ता है।

16 hrs.

यह ठीक है कि जहां तक औद्योगिक मजदूरों का ताल्लुक है उन पर उतना प्रभाव न पड़ता हो लेकिन म्यूनिसिपिल वर्कर्स पर, म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर काम करने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है और जरूरी बात है जिन जिन स्टेट्स के अन्दर इसके बारे में कानून मौजूद है और जहां जहां मजदूरों के साथ उदासीनता का बरताव किया जाता है और उनको टालने की कोशिश की जाती है, वहां पर ठीक तरह से इन पर अमल हो। इस हेतु मैंने इस बिल को यहां पेश करके आपका ध्यान इस ओर खींचा था।

मैंने माननीय मंत्री महोदय के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है और उसमें एक आशा की झलक भी दिखाई दी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कानून पर अमल करके वह झलक हमें दिखाई देनी चाहिये। आपने देखा है कि यहां जुलाई १९५७ में दिल्ली के अन्दर भी इस तरह का सफाई मजदूरों का एक आन्दोलन चला था और वह आन्दोलन इस देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि संसार के मजदूरों

के इतिहास में एक अपना स्थान रखता है। उस वक्त भी आप जानते हैं कि उन बेकसूरों पर गोली चली थी और बहुत सी बातें हुई थीं। अब भी चार पांच दिन हुए हैं पुरानी दिल्ली में जो कारपोरेशन है उसके दफ्तर के सामने भी मजदूरों ने प्रदर्शन किया था और उसमें प्रोवर-टाइम की बात थी। वह कहते थे कि हमारा प्रोवर टाइम करीब १० लाख रु० के बनता है। अगर १० लाख नहीं तो कुछ लाख तो बनता ही है। वह मजदूरों को नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है कि आपका कानून मदद नहीं करता है। मेरे एक साथी ने बताया और मैं भी इसे कहना चाहता हूं कि इस रूप में जो सण्डे की छुट्टियां हैं या और क्लोजिंग हालिडेज हैं उन पर भी सब को छुट्टी होती है लेकिन उन को काम करना पड़ता है। और इस छुट्टी के लिये कानून में किसी तरह का प्राविजन न ोने की वजह से उनको ओवर टाइम नहीं मिल पाता है। यही नहीं, आप यह भी देखिये कि जब कोई महामहिम परम श्रेष्ठ विदेशी मेहमान या हमारे कोई मन्त्री आदि आते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के मजदूरों को काम करना पड़ता है, रात दिन जुट कर काम करना पड़ता है क्योंकि कानून के अन्दर उस की कोई मदद नहीं हो पाती है। मैं यह कहना चाहता हूं आप इधर ध्यान दें। इससे आपको भंगी की दशा व काम का भान होगा कि उन्हें कितना ज्यादा काम करना पड़ता है।

श्री आबिद अली : जरूर देंगे।

श्री बाल्मीकी . ठीक है, आप की तरफ से हमें आशा बंधती है। जहां तक इन सफाई मजदूरों का ताल्लुक है मैं जानता हूं कि आप की हमदर्दी उन की तरफ है। यह भी ठीक है कि जब पिछले दिनों यहां पर आन्दोलन हुआ था तो केन्द्रीय सरकार की हमदर्दी उनकी तरफ थी। हम लोग कभी भी इसे भूल नहीं सकते, हम हिन्दुस्तान के सफाई मजदूर और म्यूनिसिपैलिटीज में काम करने वाले भंगी आदि। लेकिन यह बात जरूर है कि उनकी तरफ आज भी म्यूनिसिपैलिटीज का व्यवहार और कारपोरेशन्स का व्यवहार कुछ अनुदारतापूर्ण है, जिसके अन्दर कुछ अत्याचार की झलक आती है। मंत्री जी ने यहां पर "मुकाबला" शब्द कहा है कि वे इस अत्याचार का संगठन के साथ मुकाबला करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इन मजदूरों का मुकाबला दूसरे मजदूरों से किया जाय तो सफाई मजदूर इस मुकाबले में कभी भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। उसकी हिम्मत बढ़ती ही रही है और आगे भी बढ़ेगी। मैं सारे देश के अन्दर जाता हूं और इस तरह का अवसर हमारे अपने महान नेता पंडित पन्त और सहृदय नेता दातार जी जो यहां बैठे हुए हैं उनकी वजह से मिला है। उनके द्वारा भंगी जांच कमेटी कायम हुई है। उसके साथ सारे देश में जाने के कारण मैं कह सकता हूं कि उनको इस मामले में नेगलेक्ट करने की जो बात कही जाती है, उदासीनतापूर्ण व्यवहार की जो बात कही जाती है, वह सही है,। आज सारे देश के मजदूरों के साथ उनके मुकाबले की बात क्या कहते हैं ? आप सिर्फ मुकाबला करते हैं, उनकी मजदूरी का लेकिन अब वह दिन गये जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे और उनको दबाया जा सकता था।

श्री आबिद अली : खलील खां तो चले गये

श्री बाल्मीकी : आज बतलाया जाता है कि इन मजदूरों की जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है। लेकिन मैं कहने के लिये तैयार हूं कि आज भी उनको किस प्रकार एक स्थिति का मुकाबला करना पड़ता है और हर मजबूरी के रहते हुए भी वह हालत से टकरा सकते हैं :—

"अये मौजे हवादस बेकसों से दूर ही रहना,
शकिस्ता किश्तियां अक्सर उलझ पड़ती हैं तूफां से

[श्री वाल्मीकि]

यह बात ठीक है, कि ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये हम तैयार हैं। मैं अपनी बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जहां तक इन मजदूरों का ताल्लुक है इस बात को कबूल करना चाहिये :

> "Provided that where no provision exists for the determination of overtime rate, it shall be double the ordinary rate of wages."

यह एक साधारण सी बात है। आज हमारी सरकार, जो समाजवादी सरकार है, समाजवादी ढांचे से दूर हट कर नहीं सट कर चलती है, और समाजवाद को सही तौर पर लाना चाहती है, मैं नहीं समझता कि इस साधारण सी बात में वह हमारी मदद नहीं करेगी।

मैं चाहता था, जैसा कि मेरे साथी श्री मोहन नायक जी ने संशोधन पेश किया है, कि इस बिल को सारे देश में राय जानने के लिये भेजा जाय क्योंकि इस का सारे देश पर, सारे देश के मजदूरों पर, प्रभाव पड़ता है। मैं भी उन के इस कथन में कुछ व्यावहारिकता समझता हूं। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस के लिये मना कर दिया है, लेकिन मैं कहने के लिये तैयार हूं कि ११-१०-५८ के नोटिफिकेशन के बावजूद कि स्टेट्स गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स बनाते हुए म्यूनिसिपल वर्कर्स को भी ध्यान में रखेंगी और उन के लिये रूल्स बनायेंगी, बहुत सी यूनियन टेरिटरीज के अन्दर इस तरह के रूल्स नहीं हैं, यू० पी० के अन्दर नहीं हैं, बहुत सी और स्टेट्स के अन्दर नहीं हैं। इन मजदूरों को किसी तरह के रूल्स से सन्तोष नहीं होगा जब तक आप उन रूल्स को ओवररूल कर के मिनिमम वेजेज ऐक्ट में आमूल परिवर्तन करने का बिल यहां न लायें। जब तक आप सही तौर पर संशोधन करने के लिये बिल नहीं लाते तब तक मैं समझता हूं कि कोई भी इन मजदूरों की हालत को थोड़ा सा भी नहीं बदल सकता है।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि आप का ध्यान इन बातों की तरफ जाय जिन की मैं ने चर्चा की है। यहां पर बेगार की तरफ इशारा किया गया है। मैं कहने के लिए तैयार हूं कि जिस तरह से हमारे इन मजदूरों से काम लिया जाता है वह एक प्रकार से बेगार ही है जब तक आप इस बात के लिए कोई संशोधन मंजूर नहीं करते, खास तौर से उन लोगों के कल्याण के लिए, तब तक वह बेगार चलती ही रहेगी। किस रूप में उन को बाहरी कानूनी सहायता होती है, उस को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है लेकिन कितने गरीब आदमी या मामूली मजदूर यह सहायता प्राप्त कर सकते हैं यह किसी को मालूम नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई अधिक बात कहूं लेकिन यह कहने के लिए तैयार हूं कि यहां पर यह साधारण सा संशोधन किया जाय। माननीय मंत्री जी ने भी उस की व्यावहारिकता को माना है। जहां तक वेज रेट का सवाल है, इस पालिसी को लाने का प्रश्न है, मैं ने पहले भी कहा था कि एक परमेनेन्ट वेज फिक्सिंग मैशीनरी होनी चाहिए जो इधर देख सके। लेकिन अब तक इस तरह की मदद नहीं हो सकी है। यहां कमेटियां बनती हैं, मंत्री जी ने जिक्र किया कि कमेटियां हैं। लेकिन उन कमेटियों में इस तरह के आदमी होते हैं जिन का दिमाग फैक्ट्रीज के चारों तरफ ही चलता है पर म्युनिसिपल वर्कर्स जो है, खेत में काम करने वाले जो मजदूर हैं, घरेलू मजदूर हैं, उन की तरफ नहीं जाता है। उन का कोई नेगलेक्ट होता है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह की कमेटी है या कोई दूसरी कमेटी इस तरह की आप कायम करें तो उस में म्युनिसिपल वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उस में म्युनिसिपल वर्कर्स का भी रिप्रेजेन्टेशन

होना चाहिए । इस तरफ मैं आप का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं ।

जहां तक इन्स्पेक्शन एंड इन्फोर्समेंट का प्रश्न है, वह म्यूनिसिपल वर्कर्स के ओवर-टाइम की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं । मैं ने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जो आप की फैक्ट्रीज के इन्स्पेक्टर हैं या दूसरे इस तरह के अधिकारी हैं वह अभी भी जो मिल मालिक हैं उन के प्रभाव में आ जाते हैं । मेरा अपना ख्याल है कि उन पर पहले से ज्यादा काम है और इसलिए भी वह इस काम को नहीं देख पाते हैं । मेरा यह निवेदन है कि आप इस तरह की एक अलग मशीनरी कायम करें जो इस तरफ देख सके कि जो लोग ओवरटाइम करते हैं उन को उतना पैसा भी मिलना चाहिए और वह ठीक तरह से रजिस्टर में दर्ज भी होना चाहिए फैक्ट्रीज के अन्दर काम के जो घंटे लिखे जाते हैं वह कम लिखे जाते हैं । लिखा कुछ और जाता है और दिखाया और जाता है । मैं खास तौर पर कह सकता हूं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं । जहां तक म्युनिसिपैलिटिज का ताल्लुक है वहां जो इन मूक मजदूरों पर दबाव चलता है उस दबाव में मजदूरों को ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है लेकिन इस के लिए उन को कानूनी मदद बिल्कुल प्राप्त नहीं होती । इस के लिए मैं आप को दोष नहीं देना चाहता, यह दोष नीचे से शुरू होता है और हल्के हल्के आप के पास भी आता है । यदि आप इस को स्वीकार करते हैं तो मैं इस बात को कोई विशेष तरह से नहीं कहना चाहता पर इतना जरूर है कि जब तक आप पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स पर इस के बारे में निगाह नहीं करेंगे तब तक उन से कोई खास उम्मीद नहीं । जब तक आप उन मजदूरों का जो कि सफाई के मजदूर हैं, ख्याल नहीं करेंगे तब तक उन की कोई सुनने वाला नहीं है । जिस तरह से कंट्रोल्ड एम्प्लायमेंट्स के अन्दर डेब रेट पर डबल ओवर टाइम मिलता है उसी तरह से इन लोगों के लिए भी होनी चाहिए ।

जहां तक आप ने एरियर्स की ओर इशारा किया है, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों के एरियर्स तो सभी जगह हैं और वह पे नहीं हो पा रहे हैं । जहां तक व्यावहारिकता के साथ एक निश्चय पर आने का सम्बन्ध है । मैं यह चाहता हूं कि आप एक सीमा निर्धारित करें और उस का उल्लंघन न करें । आप सीमा निर्धारित करते हुए सोचें कि अगर उन्होंने यकीनी तौर पर काम किया है तो उस का पैसा उन को मिलना चाहिये । आप इस में भी उन की मदद करें । इस में कोई व्यक्तिगत केस रखने की बात नहीं है, लेकिन सारे देश में इस पर अमल नहीं हो रहा है । जहां तक म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन्स का ताल्लुक है इस पर बिल्कुल अमल नहीं हो पा रहा है । इसलिए मैं ने इस की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया था और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी से मेरी आशा है जैसा कि उन्होंने यहां पर वादा किया है, और वह इस पर ध्यान देंगे । लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद पूरा हो जाता है तो मेरा मकसद और मंतव्य तो उतना पूरा नहीं होता है लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक वायदा सा पूरा करने का इरादा नजर आता है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप उसमें मदद करेंगे और आप खुद सोच समझ कर इस तरह का कोई एक बिल यहां पर लायेंगे और उसको पास करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन जब तक सरकार इस तरह का कोई बिल नहीं लाती तब तक के लिए श्री मोहन नायक जी ने जो संशोधन दिया है कि इसको स्टेटस की रायल जानने के लिए भेजा जाय, उसे कम से कम मानें ।

अब इसको स्टेटस की राय जानने के लिए भेजे जाने का जहां तक ताल्लुक है

[श्री वाल्मीकी]

तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक म्युनिसिपल वर्कर्स का ताल्लुक है, खेतिहर मजदूरों का ताल्लुक है मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनमें म्युनिसिपल और खेतिहर मजदूरों के लिए मिनिमम वेज मुकर्रर की गई है लेकिन वे इस ओवरटाइम से बच जाती हैं क्योंकि उसका लॉ के अन्दर मेंशन नहीं है। इतवार की छुट्टी में भी उनको काम करना पड़ता है क्योंकि ला के अन्दर किसी तरह का प्राविजन और जिक्र नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से एक उत्तरदायित्वपूर्ण वचन चाहता हूं कि वे इस बारे में अगर थोड़ा सा संकेत भर कर दें तो मुझे संतोष हो जायगा।

Mr. Chairman: Does the hon. Member want to withdraw his Bill?

श्री वाल्मीकी: मैं ने जो अभी निवेदन किया और मैं समझता हूं कि सभानेत्री महोदया हिन्दी में कही गई मेरी बात को समझ गई होंगी।

मैं मंत्री महोदय द्वारा उस ओर इशारा चाहता हूं कि इस बिल को राय के लिए भेजा जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री खुद यह महसूस करें कि उसके लिए कानून में आज कोई प्राविजन और जिक्र नहीं है और इसलिए उन सफाई मजदूरों पर दबाव पड़ता है और मैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी से थोड़ा इशारा चाहता हूं और उसके मिलने पर मैं अपने इस बिल को वापिस लेने के लिए राजी हो जाऊंगा।

श्री आबिद अली: जनाब मैं फिर अर्ज कर दूं कि जहां तक कि हमारी सेन्ट्रल टैरीटेरीज का सम्बन्ध है मेरा ख्याल है कि काफी जगह यह अमल में आ रहा है। जहां जहां अमल में नहीं आया होगा तो जो मैंने २५वीं धारा बताई वह जल्दी अमल में आयेंगे। जहां तक स्टेटस गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है तो जो बाकी चीज कही गई हैं उनको हम अपनी राय के साथ उनके पास भेज देंगे और गवर्नमेंट की जो यह पालिसी है कि ओवरटाइम काम के लिए दुगनी मजदूरी मिलनी चाहिए वह भी और आपने जो फरमाया है वह सब उन तक हम पहुंचा देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई ऐसा कानून ला रहे हैं?

श्री आबिद अली: जी नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या चीज ला रहे हैं वह समझ में नहीं आई? क्या कोई बिल या लेजिस्लेशन इसके लिए ला रहे हैं?

श्री आबिद अली: न ला रहे हैं और न लाने का इरादा है।

श्री स० मो० बनर्जी: आपने जो उन्हें यकीन दिलाया मैं समझ नहीं सका कि वह क्या था?

श्री आबिद अली: मैं ने यह कहा कि हमारे जो मिनिमम वेजेज कानून के सम्बन्ध में रूल्ज हैं उनमें यह है कि डबल ओवरटाइम मिलना चाहिए। सेंट्रल टैरीटेरीज में वह जहां अमल में नहीं है वहां जरूर अमल में आयेगा।

Mr. Chairman: Does the hon. Member want to withdraw the Bill?

Shri Balmiki: Yes, I beg leave of the House to withdraw the Bill.

Mr. Chairman: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill?

Some Hon. Members: No.

Mr. Chairman: Then I have to put the motion formally to the vote of the House, as per the rules.

The question is:

"That the Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948, be taken into consideration".

Those in favour will kindly say 'Aye'.

Some Hon. Members: Aye.

Mr. Chairman: Those against will kindly say 'No'.

Some Hon. Members: No.

Mr. Chairman: The 'Ayes' have it......

Shri Rane (Buldana): The 'Noes' have it. I demand a Division.

Mr. Chairman: Let the Division bell be rung. Shri Rane has demanded a Division.

Shri Ram Shankar Lal (Domaria Ganj): When there is no quorum, how can there be a Division?

श्री फीरोज गांधी (रायबरेली) : जब कोरम ही नहीं है तो बिना कोरम के डिवीजन कैसे हो सकता है। Without quorum, you cannot have a Division.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): The basic thing is that there is no quorum.

Mr. Chairman: The question has not been raised.

Shri Feroze Gandhi: As soon as the bell stops ringing, I will raise it.

Mr. Chairman: The hon. Member has only just now come into the House. Does the hon. Member still press his point about quorum?

Shri Feroze Gandhi: Yes.

Shri Ram Shankar Lal: Yes, madam.

Mr. Chairman: Then I will have to order the quorum bell to be rung because what was rung was the division bell. Let the quorum bell be rung.

The entire House has to be adjourned now for lack of quorum.

The House do stand adjourned for lack of quorum.

16.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 14, 1959/Agrahayana 23, 1881 (Saka).